(c) if so, what are the details of the same; and

(d) whether Government have agreed to this plan?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Reserve Bank of India (RBI) has reported that the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries (FICCI) has prepared a paper titled "Liquidity Crunch—Short and Long Term Solutions of Financing a Rapidly Growing Indian Economy". The paper had argued that there has been a major squeeze in the supply of credit because of the restricted money supply. It has attributed that the foreign exchange management intervention resulted in contraction of money supply.

Some of the suggestions made by FICCI for enhancing credit flows are: (i) Reduction in the Statutory Liquidity Ratio (SLR) to 25 per cent and Cash Reserve Ratio (CRR) to 10 per cent; (ii) Removal of the limit (5 per cent) on bank's investments in the debt instruments of the private corporate sector and (iii) removal of stipulations relating to the lock-in period for funds invested in Money Market Mutual Funds (MMMFs). The FICCI have also argued that there has been a decleration in non-food credit.

RBI has further reported that it has brought down SLR from a high of 38.5 per cent in April, 1992 to 27.5 per cent in July, 1991. In view of the lower stipulations on incremental domestic net demand and time liabilities and zero SLR on certain specific external liabilities, the SLR would continue to decline. The effective CRR for the banking system has been brought down from 15.7 per cent in March, 1995 to around 11.5 per cent in July, 1996.

As reported by RBI, the growth in Non-food credit of scheduled commercial banks (between March 17, 1995 and march 29,1996) was high at Rs. 54,684 crore as compared with Rs. 45,775 crore (between March 18, 1994 and March 31,1995). The contraction in Liquidity due to intervention in the foreign exchange market was only in the initial stages. Subsequently, there has been a net injectionof liquidity. Thus the overall impact of foreign exchange market intervention from the point of view of domestic liquidity was neutral. In the period October, 1995-July 1996 the Reserve Bank has gradually reduced the cash reserve ratio, thereby augmenting the resources of banks.

RBI has stated that banks are required to ensure that the various productive sectors of the economy are supported. At the same time, with a view to enabling banks to deploy their surplus funds more remuneratively, banks have been allowed to invest 5 per cent of their incremental deposits of the previous year in shares, debentures/bonds of the corporate bodies including devolepments arising out of underwritting obligations. For 1996-97, this would amount to more than Rs. 2,200 crore which is a substantial amount.

While it is considered necessary that some minimum lock-in period for funds invested in MMMFs is required, the minimum period has been reduced from 46 days to 30 days in order to make this scheme more attractive to investors when the prescribed minimum maturity for term deposits with scheduled commercial banks was lowered from 46 days to 30 days effectively July 2, 1996.

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा नाबार्ड से लाइसेंस मांगा जाना

2974. श्री राघवजी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य करने हेतु नाबार्ड से लाइसेंस की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब की गई और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए कर्मचारियों को अधिकार दिया जाना

2975. श्री नागमणि:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए किन-किन

कर्मचारियों को अधिकार दिये गये हैं और ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा क्या धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए इन कर्मचारियों ने पर्याप्त उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन उपायों की जांच की है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या कमियां पाई गई हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसी धोखाधड़ियों को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिए अधिक कड़े कदम उठाने का विचार कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (घ) बैंकों ने दिन-प्रतिदिन के परिचालनों के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं निधारित कर रखी है। धोखाधड़ियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का कार्याकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया जाता है और अनुपालन न करने वालों का पता लगाया जाता है तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रयोजन के लिए, बैंकों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है। इसमें शामिल है (i) नियंत्रक कार्यालय जो नियमित नियंत्रण, विवरणियों, शाखाओं के दौरे, आदि के माध्यम से अपने प्रभाराधीन शाखाओं की निगरानी करते हैं: (ii) आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्र जो शाखाओं की आवधिक जांच और लेखा परीक्षा करते है और शाखाओं और नियंत्रण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के विभागों के कार्यकरण में पाई गई अनियमितताओं/खामियों को बताते हैं। आंतरिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, बैंक उपचारात कार्रवाई करते हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के पास सतर्कतातंत्र हैं जो निराधात्मक और पता लगाने वाले कदम उठाने के लिए उत्तरदायी हैं ताकि बैंक कर्मचारियो द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी और भ्रष्ट कार्यों को रोका जा सके। सतर्कता तंत्र उपयुक्त विभागीय कार्रवाई करने के लिए सतर्कता की प्रकृति वाले मामलों को अनुशसिनिक प्राधिकारी के पास भेजता है। बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक आतंरिक निरीक्षण तंत्र और सतर्कता तंत्र के कार्यकरण की भी सतत् समीक्षा करते हैं। वे उन धोखाधड़ियों की भी समीक्षा करते हैं जिनका पता चला है ताकि उनके हेतु कारणों का पता लगाया जा सके और प्रणालियों और प्रक्रियाओं में विद्यमान कमियों/खामियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाते हैं। निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन न होने और बिना समय गवाएं इसके कारण हुई धोखाधड़ियों का पता लगाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपनी बड़ी और अत्यधिक बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए कहा है। सरकार के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में धोखाधड़ियों और अनाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (घोष समिति) गठित की थी। इस समिति की अधिकांश सिफारिशें बैंक को तत्काल कार्यान्वयन के लिए 1992 में भेज दी गई थीं।

Development of tourist places in Rajasthan and Orissa

2976. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether the Central Government have taken any concrete measures to launch some new projects in Rajasthan and Orissa to develop tourism in these States; and

(b) if so, the details thereof during the last two years and upto 30.6.1996 including the number of hotels, motels and guest houses built in these States to meet the rush of foreign/ Indian tourists?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANTA JENA): (a) The Department of Tourism in consultation with the State Government of Rajasthan and Orissa have identified following projects for providing central financial assistance during 96-97.

Projects in Rajasthan

1. Extension of Tourist Bungalow at Gangaur.
2. Tourist Bungalow at Ajmer.
3. Tourist Bungalow at Mount Abu.
4. Tourist Bungalow at Churu.
5. Tourist Bungalow at Jhunjunu.
6. Cafeteria at Osian.

Projects in Orissa

1. Wayside amenities at Ghatgaon.
2. Tourist Complex at Denkanal.
3. Wayside amenities at Satpara.

(b) The detail of projects for which financial assistance has been extended by the Department of Tourism during the last.two years to the Government of Rajasthan & Orissa